



संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 232

वर्ष 2005-2006

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि लीटर दगा चैरि बूल

उर्कलाइन रिचर्स ट्रेनिंग सेंटर लोखण्डी



सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ है।

आज तारीख 14 मास फरवरी वर्ष दो हजार का रांची में मेरे हस्ताक्षर के

साथ दिया गया।

फुटनोट -

प्रविभाजित बिहार में निबन्धित संस्था का नाम -

प्रविभाजित विहार का निबन्धन संख्या -

लीटर दगा चैरि बूल उर्कलाइन रिचर्स ट्रेनिंग सेंटर लोखण्डी

53/1976-77

गोबर्नमेन्ट प्रेस, रांची।

14-2-2006 वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, रांची।

120